

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]  
No. 318]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2008/फाल्गुन 20, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2008/PHALGUNA 20, 1929

नागर विमानन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2008

फा.आ. 470(अ)—शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 16 मार्च, 2008 को 00.01 बजे से आरंभ होने के परिणामस्वरूप और 20 दिसम्बर, 2004 को भारत सरकार तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) के मध्य हस्ताक्षरित रियायत करार के पैरा 5.5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि हैदराबाद का मौजूदा हवाई अड्डा अत्र नागर विमानन प्रचालनों [इन उद्देश्यों में राष्ट्रीय आपतकालीन स्थिति में हवाईअड्डा गतिविधियां या (किसी भी समय) भारतीय वायु सेना या भारत के अन्य सरकारी बलों या भारत के अर्ध सैनिक बलों या पुलिस या ऐसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा स्वामित्व या प्रचालित विमानों द्वारा या विशेष सरकारी स्वामित्व वाले, चार्टर वाले या किराए के सीआईपी विमान द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रयोग शामिल नहीं हैं] के लिए खुला या उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त तिथि तथा समय से राष्ट्रीय गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा मौजूदा हवाईअड्डे के लिए एचआईएल कोड हस्तांतरित किया गया है।

हैदराबाद के मौजूदा हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक विमानों के लिए बंद होने के बावजूद यहां स्थापित विमानन सेवाएं (वाणिज्यिक विमान, चार्टर उड़ानें, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किराए पर लिए गए स्वप्रचालित विमानों से इनर) जारी रहेंगी।

[फा. सं. एल-20014/002/2008-एडी]

के. एन. श्रीवास्तव, संपुष्ट नरिच

MINISTRY OF CIVIL AVIATION  
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2008

S.O. 470(E).—Consequent on the commissioning of the Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad with effect from 00.01 hours of March 16, 2008 and in pursuance of clause 5.5 of the Concession Agreement signed between Government of India and Hyderabad International Airport Limited on 20th December, 2004, the Central Government hereby notifies that the existing airport at Hyderabad will no longer be open or available for civil aviation operations [which shall, for these purposes, not include use for Airport Activity at times of national emergency or (at any time) by aircraft owned or operated by or for the Indian Air Force or other Armed Forces of India or Para-Military Forces of India or Police or such other authorities or for transportation of dignitaries by special Government owned, leased or hired VIP aircraft]. The International Air Transport Association code HYD for the Existing Airport is transferred to the Rajiv Gandhi International Airport from the above date and time.

General Aviation services (other than those relating to commercial aircraft, charter flights, aircraft hired or operated under commercial arrangements) may continue to be provided at the Existing Airport at Hyderabad, notwithstanding its closure to commercial aircraft.

[F. No. AV-20014/002/2008-AD]

K. N. SHIVASTAVA, Jt. Secy.

11/3